भारत में जलवायु अधिकार और जलवायु अनुकूल कानून की भावी आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में एम.के. रंजीतसिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय , जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक व्यवस्थित ढंग से सोचने और शासन लागू करने का एक दिलचस्प अवसर प्रदान करता है।

जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार

- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकार पूरी तरह से हासिल नहीं किए जा सकते।
- न्यायालय के फैसले ने स्वास्थ्य के अधिकार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर किया, वंचित समुदायों को इसके प्रभावों के अनुकूल होने और उनका सामना करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन और विभिन्न मानवाधिकारों के बीच परस्पर संबंध को मान्यता दी, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त स्वस्थ पर्यावरण के मौलिक अधिकार पर जोर दिया।
- हालांकि, फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संवैधानिक रूप से गारंटीकृत जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के आधार पर 'जलवायु अधिकार' की शुरूआत थी।
- इस अधिकार को संविधान में शामिल करके, यह संभावित रूप से जलवायु से संबंधित कानूनी कार्रवाइयों का मार्ग प्रशस्त करता है, नागरिकों को इस अधिकार के लिए सरकारी सुरक्षा की मांग करने का अधिकार देता है।

Result Mitra

जलवायु विकास के विकल्प हेतु कानून आवश्यक

- भारतीय के लिए अपने आर्थिक विकास की दिशा को निम्न कार्बन और जलवायु के अनुकूल भविष्य की ओर मोड़कर जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए कानून को विकास के सभी स्तरों पर रोज़मर्रा की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में इन उद्देश्यों को शामिल करना चाहिए।
- यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन असुरक्षित आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है और एक न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण आवश्यक है, सभी जलवायु-संबंधी प्रयासों में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।
- जबकि जलवायु कानून को अक्सर लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित एक शीर्ष-डाउन दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, यह दृष्टिकोण विकासशील देश के संदर्भ में अपर्याप्त है जहाँ जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना उत्सर्जन में कमी से परे है।
- यह प्रत्येक विकासात्मक विकल्प और जलवायु के अनुकूल भविष्य के लिए इसके निहितार्थों की गहन जाँच की आवश्यकता है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, कानूनी ढाँचों को सरकारी स्तरों पर लागू अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए एक मजबूत संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है जो नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार, प्राथमिकता, समस्या निवारण और मूल्यांकन करती है।
- कई देशों ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में शासन क्षमता बढ़ाने के लिए 'ढांचा जलवायु कानून' को अपनाया है।
- ये कानून राष्ट्र-व्यापी उद्देश्यों को स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रक्रियाओं और जवाबदेही उपायों के साथ समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे जलवायु कार्रवाई सरकारी कार्यों का केन्द्रीय केंद्र बन जाती है।

एक आदर्श जलवायु अनुकूल कानून से अपेक्षाएं

- एक व्यापक जलवायु कानून ढांचे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है जो मौजूदा चुनौतियों के लिए प्रभावी समाधान तैयार करने में सक्षम हो।
- इसके लिए तत्कालीन प्राथमिकता, नीतिगत विकल्पों और उनके संभावित परिणामों का गहन विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञता के साथ एक सरकारी निकाय की स्थापना पर होना चाहिए।
- राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को सतत निम्न कार्बन विकास और लचीलापन हासिल करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों और तकनीकी कर्मियों से युक्त एक स्वतंत्र निम्न कार्बन विकास आयोग' की स्थापना भी की जानी चाहिए।
- साथ ही एक मजबूत जलवायु कानून ढांचे के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण है जो मौजूदा मुद्दों के लिए व्यावहारिक समाधान तैयार करने में सक्षम हो।
- अपितु रंजीतसिंह निर्णय जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए भारत के लिए निम्न कार्बन ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण की आवश्यकता पर जोर देता है।
- इसके अलावा जलवायु कानून को शहरों, इमारतों और परिवहन नेटवर्क में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक सहायक विनियामक वातावरण स्थापित करना चाहिए।
- भारत की विकास प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, जिससे स्थानीय संदर्भों के अनुरूप कार्य योजनाओं जैसे अनुकूलन उपायों के कार्यान्वयन और जलवायु-लचीली फसलों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जा सके।
- इसके अलावा, मैंग्रोव जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, जो चरम मौसम की घटनाओं के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा के रूप में काम करते हैं, आवश्यक है।
- साथ ही इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामाजिक समानता के मुद्दों को संबोधित करना सर्वोपरि है।

Result Mitra

संघीय ढांचे के साथ जुड़ाव है जरूरी

- कानूनी व्यवस्था को भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखना चाहिए, खासकर जब उत्सर्जन को कम करने और लचीलापन बढ़ाने से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जाता है।
- बिजली, कृषि, पानी, स्वास्थ्य और मिट्टी जैसे कई प्रमुख क्षेत्र राज्य और स्थानीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- इसलिए, न्यायालय द्वारा नव स्थापित जलवायु अधिकार की सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी नियामक ढांचे या संस्थागत व्यवस्था में उप-राष्ट्रीय सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- यह उप-राष्ट्रीय सरकारों को राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञता तक पहुँच प्रदान करके, जलवायु उद्देश्यों के साथ संरेखित स्थानीय पहलों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके और जलवायु संबंधी निर्णयों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तंत्र स्थापित करके प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर पूरक संस्थान बनाकर राज्य-विशिष्ट समाधान विकसित किए जा सकते हैं।
- जबकि प्रस्तावित ढांचा कानून विभिन्न मंत्रालयों और संघीय ढांचे में प्रयासों के समन्वय के लिए आवश्यक है, इसे क्षेत्र-विशिष्ट कानूनों और संशोधनों द्वारा पूरक किया जाना चाहिए जो इसके सिद्धांतों के साथ संरेखित हों।
- एम.के. रंजीतसिंह मामले में ऐतिहासिक निर्णय कानूनी और शासन सुधारों का मार्ग प्रशस्त करता है जो व्यक्तियों को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाता है।

भविष्य की राह

- भारत, एक विकासशील राष्ट्र है, जिसकी संवेदनशीलता बहुत अधिक है और जिसे बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है, उसे निम्न कार्बन और जलवायु के अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले विनियामक कानून को लागू करने से लाभ हो सकता है।
- ब्रिटेन जैसे देशों से सीखकर, जो राष्ट्रीय कार्बन बजट के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं, और केन्या, जो ज्ञान-साझाकरण और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देता है, भारत पारदर्शिता और विशेषज्ञ परामर्श सुनिश्चित करते हुए सार्थक लक्ष्य और समयसीमा निर्धारित कर सकता है।
- इस कानून में न केवल सरकार को शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित व्यवसायों, नागरिक समाज और समुदायों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि ऊर्जा परिवर्तन और लचीलेपन में योगदान दिया जा सके।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने से समाज के विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में अपनी विशेषज्ञता का योगदान करने का अवसर मिलेगा।
- भारत में एक कुशल जलवायु कानून जो समावेशी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, विभिन्न समूहों को इस मामले में अपनी बात रखने के लिए और अधिक सशक्त बनाएगा।

Result Mitra